

**नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों  
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 तक**

**भाग – एक**

**1 प्रारम्भिक:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1-378/81-फिन(एल०ए०) खण्ड-IV, दिनांक-18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 तक नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर निम्न वर्णित कार्यरत रहे :-

**(i) अध्यक्ष :-**

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्री चन्द्र मोहन ठाकुर	1.4.2019 से 18.1.2021
2	श्रीमती बिमला मलिक	19.1.2021 से 31.3.2022

**(ii) सचिव :-**

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्री रघुवीर सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	1.4.2019 से 31.1.2020
2	श्री हरि कपूर	1.4.2020 से 31.7.2020
3	श्री उमेश शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	1.8.2020 से 31.12.2020
4	श्री विनय कुमार शर्मा	1.1.2021 से 7.3.2021

	(अतिरिक्त कार्यभार)	
5	श्री उमेश शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	8.3.2021 से 30.9.2021
6	श्री डॉ० वरुण शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	1.10.2021 से 28.2.2022
7	श्री उमेश शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	1.3.2022 से 31.3.2022

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2019 से 03/2022 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार	पैरा संख्या	राशि (₹) (लाखों में)
1	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	6(क)	413.40
2	अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	6(ख)	111.59
3	अनुदान का अनावश्यक अवरोधन करना	6(ग)	150.00
4	बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही नगर पंचायत निधि से व्यय करना	8	235.68
5	यूजर चार्ज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन (Door to Door Garbage Collection) रसीदों के अंतर्गत प्राप्त आय को बैंक में जमा न करके रोकड़ का संभावित गबन/दुर्विनियोजन करना	9	2.40
6	गृह कर की राशि वसूली हेतु शेष	10(क)	42.27
7	दुकानों के देय किराए की राशि वसूली हेतु शेष	11(क)	33.39
8	दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	11(ख)	2.46
9	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	14(क)	1.02
10	मोबाईल टावर शुल्क की कम मांग व वसूली करना	14(ख)	0.59
11	श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	17(क)	6.80
12	नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के नियुक्तिया करने के कारण अनियमित व्यय करना	17(ख)	19.15
13	वा० सं० 7/7 दिनांक-7.7.2020 के तहत किए गए अनियमित भुगतान व सामग्री के संभावित दुर्विनियोजन बारे	19(क)	2.01

14	क्रय किए गए सामान का स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/ खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना	19(ड)	2.28
15	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	19(च)	1.00
16	अनुबन्ध की मद 2 i.e “P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade” की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	20(I)	0.48
17	संविदाकारों के बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी) को सम्बंधित विभाग में जमा न करना	23	3.11
18	प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर निर्माण कार्य का निष्पादन करना	24	5.25
19	निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान करना व सरकार को राजस्व के रूप में वित्तीय हानि	25	0.75
20	अनुबंध का कार्यान्वयन किये बिना ही नगर पंचायत निधि से के अनधिकृत व्यय करना	26	7.94

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (परिशिष्ट “1”) पर दर्शाई गई हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर पंचायत प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरो का निस्तारण संभव हो सके।

## भाग – द्वितीय

### 2. वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 21.11.2022 से 02.01.2023 तक श्री देवेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री विकी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय के लिए मास 12/2019,

08/2020 और 12/2021 एवं व्यय के लिए मास 06/2019, 03/2021 और 10/2021 का चयन किया गया।

“वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, नगर पंचायत चौपाल द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

**3. अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹41600/- आँका गया। सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 38/22 दिनांक-02.01.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था।

**4. वित्तीय स्थिति :-**

(क) नगर पंचायत चौपाल की अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैं, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर भी दिया गया है।

FINANCIAL POSITION of Nagar Panchyat Chopal, Distt. Shimla(H.P.)							
YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving +FDR interest)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2019-20	Own Sources	4172380.49	897938.00	871135.00	5941453.49	207050.00	5734403.49
	Grant In Aid	20088306.00	18144982.00	0.00	38233288.00	6934816.00	31298472.00
	<b>Total</b>	24260686.49	19042920.00	871135.00	44174741.49	7141866.00	37032875.49
2020-21	Own Sources	5734403.49	1549209.00	1271922.00	8555534.49	413243.00	8142291.49

	<b>Grant In Aid</b>	31298472.00	13613977.00	0.00	44912449.00	6349012.00	<b>38563437.00</b>
	<b>Total</b>	37032875.49	15163186.00	1271922.00	53467983.49	6762255.00	<b>46705728.49</b>
<b>2021-22</b>	<b>Own Sources</b>	8142291.49	2318105.00	1060606.00	11521002.49	1502333.00	<b>10018669.49</b>
	<b>Grant In Aid</b>	38563437.00	10938299.00	0.00	49501736.00	8161189.00	<b>41340547.00</b>
	<b>Total</b>	46705728.49	13256404.00	1060606.00	61022738.49	9663522.00	<b>51359216.49</b>

(ख) दिनांक-31.03.2022 को वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में ₹328890/-(51359216.49-51030326.49) का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Closing balance as per Financial Position as on 31.03.2022	<b>51359216.49</b>
Closing balance as per Cash Book as on 31.03.2022	<b>51030326.49</b>
Difference between Financial Position and Cash Book as on 31.03.2022	<b>328890.00</b>
<b>Detail of Difference</b>	
<b>Closing balance as per Cash Book as on 31.03.2022</b>	<b>51030326.49</b>
Add:- Net Difference pointed in previous Audit report i.e. 04/2017 to 03/2019 {Para No. 4(क)}	(+)316841
Less:- Less taken in total at Cash Book Page No. 107 Dt. 1.6.2019 on Payment side	(-)6000
Add:- Less taken in total at Cash Book Page No. 113 Dt. 31.7.2019 on Receipt side	(+)30
Add:- Actual Closing Balance of Cash Book on Page No. 129 was Rs. 33949493 but Opening Balance taken on Page No. 130 was Rs. 33931474 (33949493-33931474=18019)	(+)18019
<b>Closing Balance as per Financial Position/Cash Book as on 31.03.2022</b>	<b>51359216.49</b>

(ग) दिनांक 31.03.2022 तक बैंक बचत खातों में जमा राशि व सावधि जमा का विवरण :-

UCO Bank a/c No. 04110100008360	16095188.55
UCO Bank a/c No. 04110100008060	1350031.75
UCO Bank a/c No. 04110100003793	4652668.35
HDFC Bank a/c No. 50100159479258	6881544.60

HDFC Bank a/c No. 50100427921347	7029.31
HPSC Bank a/c No. 40510105738	1300277.00
HPSC Bank a/c No. 40510115153	9487563.00
HPSC Bank a/c No. 40510115106	7908793.00
HPSC Bank a/c No. 40510115070	17230.00
HPSC Bank a/c No. 40510115069	779.00
HPSC Bank a/c No. 40510115073	4580.00
HPSC TDR a/c No. 79	1413215.00
NULM a/c No. 50100468484571	5000.00
SBM a/c 50100453093551	1100000.00
PMAY a/c No. 125501410042885	1080000.00
<b>Total</b>	<b>₹51303899.56</b>

(घ) बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक-31.03.2022 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक बचत खातों में ₹55316.93 (51359216.49-51303899.56) का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

<b>Bank Reconciliation Statement of Nagar Panchayat Chopal as on 31-03-2022.</b>			
Cloing Balance as per Financial Position/Cash Book as on 31.03.2022			<b>51359216.49</b>
Closing Balance as per Bank Accounts as on 31.03.2022 ( Details given at Para No. 4(ग))			<b>51303899.56</b>
Difference between Financial Positon /Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2022			<b>55316.93</b>
<b>Detail of Differece</b>			
<b>Particulars</b>			<b>Amount (₹)</b>
<b>Balance as per Financial Position/Cash Book as on 31-03-2022</b>			<b>51359216.49</b>
Add(+)	Cheque No. 00056 issued on dt.09.02.2022 but not debited by bank upto 31.3.2022	1084	
Add(+)	Amount of interest received on maturity of TDR which is not entered into Cash Book up to 31.03.2022	92799	
<b>Total</b>			<b>+93883</b>

Less(-)	Amt. of ₹600000/- wrongly deposited double time by bank on dt. 12.3.2019 after rectification same amt. deducted by bank on dt. 08.04.2019 but adjustment entry has not been made at Cash Book. (बैंक विवरण परिशिष्ट-"क"-1 में देखें)			-600000	
<b>Total</b>				<b>-600000</b>	<b>-600000</b>
<b>Less(-)</b>	<b>Amount Less Deposited into bank upto 31.03.2022</b>				
Less(-)	Amt. Collected and entered in cash book vide R. N. 4893 dt. 1.6.2019 (CB Page No. (107) but Not deposited into bank upto 31.3.2022			-2000	
Less(-)	Amt. Collected and entered in cash book vide R.N. 5096 dt 25.2.20 (Cash Book P.N 129) but Not deposited into bank upto 31.3.2022			-30	
Less(-)	Amt. Collected and entered in cash book vide R.N. 5108 dt. 18.3.2020 ₹30/- & R.N. 5109 dt 20.3.2020 ₹30 (Total=60) but not deposited into bank upto 31.3.2022			-60	
Less(-)	Amt. Collected and entered in cash book vide R.N. 5560 dt. 21.12,2021 but not deposited into bank upto 31.3.2022			-2915	
Less(-)	Total Amt. Collected vide R.N. 5158 to 5160 dt. 28.7.2020 ₹1388 but deposited into ₹1387 (₹1 less deposited)			-1	
<b>Total</b>				<b>-5006</b>	<b>-5006</b>
Less(-)	Interest received in HDFC bank a/c No. 9258 on dt. 31.3.2019 but entered at CB on dt 1.4.2019			-50354	
<b>Total</b>				<b>-50354</b>	<b>-50354</b>
Add(+)	Amt. Collected vide R.N. 4854 to 4859 dt. 26.3.2019 to 29.3.2019 but deposited into bank on dt. 02.04.2019			4600	
Add(+)	Amt. Collected vide R.N. 4759 to 4772 (Except R.N.-4760) dt. 04.02.2019 but deposited into bank on dt. 10.04.2019			15000	
<b>Total</b>				<b>19600</b>	<b>+19600</b>
<b>Add(+)</b>	<b>Amount Excess taken total at CB on payment side</b>				
	<b>CB Page No.</b>	<b>Amount at bank</b>	<b>Amount taken at Cash Book</b>	<b>Excess Amount taken at CB</b>	
	118	18973	18975	2	
	118	20587	25987	5400	
	149	40.59	41	0.41	

	157	557	577	20	
	<b>Total</b>			<b>5422.41</b>	<b>+5422.41</b>
<b>Less(-)</b>	<b>Amount Less taken total at CB on payment side</b>				
	<b>CB Page No.</b>	<b>Amount taken at Cash</b>	<b>Amount at bank</b>	<b>Less Amount taken at CB</b>	
	132	5	5.61	-0.61	
	135	45000	45005.61	-5.61	
	137	65608	65613.61	-5.61	
	151	12500	12505.61	-5.61	
	126	1887	18871	-16984	
	<b>Total</b>			<b>-17001.44</b>	<b>-17001.44</b>
<b>Add(+)</b>	<b>Difference as per previous Audit Report 04/2017-03/2019 i.e. Balance Excess in Bank {पैरा 4 (ग)}</b>				<b>+498139.10</b>
	<b>Closing Balance of Bank Accoutns as on 31.03.2022</b>				<b>51303899.56</b>

(ड) रोकड बही व बैंक खातों में ₹4.98 लाख के अन्तर का समाधान न करना :-

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 के पैरा 4 (ग) के अनुसार रोकड बही व बैंक खातों में दिनांक-31.03.2019 को ₹498139.10 का अन्तर था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्णित अन्तर का समाधान वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी नहीं किया गया था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस अनियमितता बारे प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए तथा विस्तृत पड़ताल के उपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) ₹5006/- को बैंक खाते में जमा न करना:-

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही व बैंक खातों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹5006/- की राशि दिनांक 31.03.2022 तक बैंक खातों में कम जमा की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 34/22 दिनांक-31.12.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता बारे सचिव नगर पंचायत चौपाल से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित राशि को अतिशीघ्र बैंक

खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए, तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Date of Colletion	Receipt No.	Amt. Collected (₹)	Amt. Deposited (₹)	Less Amt. Deposited (₹)
1	21.12.2021	5560	2915	0	2915
2	1.6.2019	4893	2000	0	2000
3	18.3.2020 & 20.3.2020	5108 & 5109	60	0	60
4	25.2.2020	5096	30	0	30
5	28.7.2020	5158 to 5160	1388	1387	1
<b>Total amt. less deposited into bank</b>					<b>₹5006/-</b>

(छ) रसीदों के अंतर्गत प्राप्त आय ₹8403/- के संभावित दुर्विनियोजन बारे:-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार प्राप्त राशि का न रोकड़ बही में लेखांकन किया गया था और न ही वर्णित राशि को सम्बंधित बैंक खातों में जमा किया गया था इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान निम्न अभियुक्तियाँ पाई गई:-

Sr. No	Receipt No.	Dated	Amount	Description	Remarks
1	5086	31.12.2019	8373	Sh. Rajinder Sharma ward no. 6 NP Chopal	House Tax
2	5097	02.03.2020	30	Sh. Rooram Ram Ward No. 7	Birth & Death Fee
<b>Total</b>			<b>₹8403</b>		

(I) क्रम स.1 पर वर्णित रसीद जोकि श्री राजिंदर शर्मा से गृह कर के रूप में प्राप्त हुई थी, पर Cancelled लिखा गया था साथ ही रसीद की मूल प्रति भी रसीद बुक के साथ संलग्न नहीं थी इसके अतिरिक्त रसीद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था व वर्णित रसीद के अंतर्गत प्राप्त आय का रोकड़ बही के आय पक्ष में भी लेखांकन नहीं किया गया था और न ही राशि को बैंक खाते में जमा किया गया था, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

(II) क्रम स. 2 पर वर्णित रसीद श्री रूरा राम से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुई थी किन्तु वर्णित रसीद से प्राप्त आय का न तो रोकड़ भी में लेखांकन किया गया था और न ही राशि को बैंक खाते में जमा किया गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन पश्चात पूर्ण औचित्य सपष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही मामले में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**5. सावधि निवेश :-**

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-"ख" द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक ₹1413215/- की राशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई थी, जिसका विवरण निम्न भी दिया गया है। अतः सावधि जमा राशि परिपक्वता तिथि को भुनाना अथवा पुनः निवेश करना सुनिश्चित की जाए।

TDR Statement (General)					
Detail of TDR	Date of Investment	Amt. Invested (in ₹)	Rate of Interest (in %)	Period of Investment	Date of Maturity
HP State Co-Op. Bank TDR/ 1693687	04.10.2019	1413215	6.25%	4-Year	04.10.2023
<b>Total Maturity Amt.</b>		<b>₹1811100.00</b>			

**6. अनुदान :-**

सचिव, नगर पंचायत चौपाल, द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध करवाए गए विवरण का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

**(क) दिनांक 31.03.2022 तक अनुदान ₹413.40 लाख उपयोग हेतु शेष :-**

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को ₹41340547.00 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29/22 दिनांक-28.12.2022 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर

में पत्र संख्या- न.प. चौपाल (अंकेक्षण) 2022-788 दिनांक-30.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय कर दिया जायेगा तदनुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर व्यय किया जाए अथवा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था।

**(ख) अनुदानों से संबन्धित ₹111.59 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना:-**

परिशिष्ट "ग" में वर्णित GIA से सम्बन्धित विवरण की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुदानों से क्रमशः ₹6934816.00, ₹6349012.00 और ₹8161189.00 व्यय किए गए थे तथा जिसमें से केवल ₹10285758.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जबकि निम्नविवरणानुसार व परिशिष्ट-"घ" में वर्णित विवरण अनुसार शेष व्यय ₹11159259.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या- न.प. चौपाल (अंकेक्षण) 2022-788 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं व जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

**व्यय किए गए अनुदानों की राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाये जाने का विवरण:-**

वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि	₹6934816.00
वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की गई राशि	₹6349012.00
वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई राशि	₹8161189.00
<b>कुल व्यय</b>	<b>₹21445017.00</b>

व्यय की गई राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किए गए	₹10285758.00
GIA की व्यय की गई राशि जिसके संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए	₹11159259.00

**(ग) अनुदान की ₹150.00 लाख का अवरोधन करना**

अनुदान के उपयोग सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि से निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य सामान्य व तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही शुरू करके समान्यता स्वीकृति तिथि के एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे, किन्तु प्रस्तुत अभिलेख व सूचनाओं (परिशिष्ट "ग") की पड़ताल पर विदित हुआ कि निम्नलिखित अनुदान की राशियों को पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

Sr. No.	Sanctioning Authority	Purpose	Sanction Letter No. & Date	Sanctioned Amt.	Expenditure during 2019-22	Remaining Balance (₹)
1	Director, HP Urban Development Shimla	For C/o Parking at NP Chopal	UD-H-(10)5/15-IEC-5680-5705 Dated: 13.06.2017 Rs. 50.00 Lac & UD-H-(10)2/2005-VIII-HPIDB-Engg.Cell-5581-86 Dated: 14.03.2019 Rs. 30 Lacs.	8000000	Nil	8000000
2	Director, HP Urban Development Shimla	For C/o Parks at NP Chopal	UD-H-(F)5/2016-Parks-Engg.Cell-Loose-7070-7095 Dated: 11.07.2017 Rs. 10Lac & UD-H-(F)5/2016-Parks-Engg.Cell-Loose-6172-89 Dated: 12.03.2018 Rs. 60Lac	7000000	Nil	7000000
<b>Total</b>						<b>₹15000000/</b>

इस प्रकार उक्त वर्णित विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि निर्माण कार्य स्वीकृति तिथि के उपरान्त लगभग 2 से 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी आरम्भ नहीं हो पाए तथा राशि अभी भी बिना खर्च के बैंक बचत खाते में शेष पड़ी थी, जिसके कारण उक्त राशि अवरूद्ध रही एवं सम्बन्धित जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29/22 दिनांक-28.12.2022 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल को वस्तु

स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में न.प. चौपाल (अंकेक्षण) 2022-788 दिनांक-30.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय कर दिया जायेगा। अतः अनुपयोगी अनुदान की राशियों को सक्षम प्राधिकारी से उपयोग हेतु समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हीं उद्देश्यों हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उद्देश्यों हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान की राशियों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के उद्देश्य की पूर्ति हो तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7. दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना :-**

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD -H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD -H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं. UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गंभीर अनियमितता है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही नगर पंचायत निधि से ₹235.68 लाख का व्यय करना :-**

हि.प्र० नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 249 के प्रावधानानुसार, नगर पंचायत को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राकलन तैयार करके उसको सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना

अपेक्षित है। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2019-22 का वार्षिक बजट न ही बनाया गया और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण अनुसार ₹23567643.00 का व्यय बिना बजट अनुमोदन के किया गया था। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या- न.प. चौपाल (अंकेक्षण) 2022-788 दिनांक- 30.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः अंकेक्षण अवधि-2019-22 का व्यय वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में व्यय करने से पूर्व वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Year	Total Expenditure (₹)
2019-20	7141866.00
2020-21	6762255.00
2021-22	9663522.00
<b>Total</b>	<b>₹23567643.00</b>

- 9 यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन (Door to Door Garbage Collection) रसीदों के अंतर्गत प्राप्त आय को बैंक में जमा न करके रोकड़ ₹2.40 लाख का संभावित गबन/दुर्विनियोजन बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना- 23/22 दिनांक-24.12.2022 व 26/22 दिनांक-26.12.2022 के सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत चौपाल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड, यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान प्राप्त आय ₹239800/- को न तो रोकड़ बही में लिया गया था और न ही बैंक खाते में जमा करवाया गया था जोकि रोकड़ के गबन/दुर्विनियोजन को दर्शाता है।

अंकेक्षण के दौरान यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के संदर्भ में रसीद बुक के संरक्षण, जारी करने व रोकड़ की प्राप्ति के सन्दर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गई –

- I. डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन से यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त आय हेतु न तो किसी भी प्रकार के रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया है और न ही रसीदों की प्राप्ति व जारी करने सम्बन्धी रसीदों के स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया जिस कारण अंकेक्षण के दौरान यह संभव नहीं हो पाया है कि कुल कितनी रसीदें मुद्रित व कितनी रसीदें यूजर चार्जेज कलेक्शन हेतु जारी की गईं।
- II. रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा @50 व @100 प्रति रसीद मूल्य की रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गईं किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये कि कितनी रसीदें @50 प्रति रसीद मूल्य व कितनी @100 प्रति रसीद मूल्य की मुद्रित व जारी की गई थी, जिस कारण वर्णित तथ्यों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी।
- III. नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2019 से 03/2022 के दौरान यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन से प्राप्त आय हेतु किसी भी प्रकार के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- IV. यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के संदर्भ में जारी की गई रसीदों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
- V. जारी की गई रसीदों में कटिंग व रसीदों में उल्लेखित दिनांक में भी त्रुटियाँ पाई गईं।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुक को प्रिंट व प्रयोग किया गया व कितनी रसीद बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया तथा कितनी राशि वास्तव में यूजर चार्जेज डोर-2-डोर गार्बेज कलेक्शन के संदर्भ में प्राप्त की गई थी जिस कारण वसूली गई राशि ₹239800/- जोकि बैंक में जमा नहीं करवाई गई, के अतिरिक्त राशि यदि कोई एकत्रित करके जमा नहीं करवाई गई, की पुष्टि भी सम्भव नहीं हो सकी। वर्णित अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-35/22 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी विशेष कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई न करने व रोकड़ को रोकड़ बही और बैंक खाते में जमा न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामले में विभागीय स्तर पर विस्तृत पड़ताल करके वर्णित अनियमितताओं के संदर्भ में अब विशेष कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Receipt Book @50 Per receipt				Receipt Book @100 Per receipt			
	Receipt Book No.	Dated	Amount Collected but not deposited	Remarks	Receipt Book No.	Dated	Amount Collected but not deposited	Remarks
1	2001 to 2100	16.1.20 to 23.1.20	5000		3501 to 3600	19.1.20 to 23.6.20	10000	
2	2101 to 2200	23.1.20 to 12.2.20	5000		3601 to 3700	1.4.20 to 23.6.20	9800	Receipt no. 3699 & 3700 found blank with their original receipt
3	2201 to 2300	15.2.20 to 30.3.20	5000		3701 to 3800	24.6.20 to 12.11.20	10000	
4	2301 to 2400	30.3.20 to 30.6.20	5000		3801 to 3900	23.10.20 to 12.11.20	10000	
5	2401 to 2500	30.3.20 to 31.8.20	5000	Date has been taken as per mentioned in receipt book	3901 to 4000	13.11.20 to 18.12.20	10000	
6	2501 to 2600	31.7.20 to 31.3.20	5000	Date has been taken as per mentioned in receipt book	4001 to 4100	12.12.20 to 22.1.21	10000	
7	2601 to 2700	3.7.20 to 31.6.20	5000		4101 to 4200	10.2.21 to 20.3.21	10000	
8	2701 to 2800	31.3.20 to 31.3.20	5000		4201 to 4300	20.3.21 to 6.4.21	10000	
9	2801 to 2900	1.3.20 to 1.3.20	5000		4301 to 4400	9.1.20 to 2.1.21	10000	
10	2901 to 3000	8.1.20 to 3.1.21	5000		4401 to 4500	8.1.20 to 1.1.21	10000	
11	3001 to 3100	1.4.21 to 1.4.21	5000		4501 to 4600	9.1.20 to 2.1.21	10000	
12	3101 to 3200	2.4.21 to 2.4.21	5000		4601 to 4700	7.4.21 to 3.7.21	10000	
13	3201 to 3300	3.4.21 to 3.5.21	5000		4701 to 4800	3.7.21 to 23.8.21	10000	
14	3301 to 3400	3.4.21 to 5.6.21	5000		4801 to 4900	4.9.21 to 19.10.21	10000	
15					4901 to 5000	5.12.19 to 6.12.19	10000	

16			5001 to 5100	14.12.21 to 16.2.22	10000	
17			5101 to 5200	23.3.22 to 8.4.22	10000	
	<b>Total</b>	<b>₹70000/-</b>			<b>₹169800/-</b>	
<b>G/Total</b>					<b>₹239800/-</b>	

**10 गृह कर:-**

(क) दिनांक- 31.03.2022 तक ₹42.27 लाख गृह कर की वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को ₹4227139/- वसूली योग्य शेष थी, जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"ड" में एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	गृह कर	4227139.00
	<b>कुल योग</b>	<b>₹4227139.00</b>

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं.यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक- 20.06.2001 के अनुसार करों की शत-प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी। अतः निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही वर्णित राशि की वसूली हेतु अति शीघ्र ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृह कर / संपत्ति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment list) में हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करना :-

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत हाऊस टैक्स/संपत्ति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment List) में वर्तमान स्थिति अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत चौपाल द्वारा अपने परिधि क्षेत्र में गृह कर / संपत्ति कर दिनांक 01.04.2000 से अधिरोपित किया गया था तथा इस प्रकार उक्त वर्णित धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्ष के उपरांत वर्ष 2005-06 से व तदोपरान्त प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन किये

जाने अपेक्षित थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उपरोक्त वर्णित नियमों की अनदेखी करके नियमित समय पर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार जमीन की वर्तमान कीमत, निर्माण कार्य की वर्तमान लागत के आधार पर गृह कर का तुरन्त निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**11 दुकानों के किराये से आय:-**

**(क) दुकानों का किराया ₹33.39 लाख वसूली हेतु शेष :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्न विवरणानुसार ₹3338879/- दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे। जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट- "च" एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया है तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में न लाने के कारण वसूली हेतु बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	दुकान किराया	3338879.00
	कुल योग	₹3338879.00

**(ख) दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹2.46 लाख के राजस्व की हानि:-**

अंकेक्षण के दौरान दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नहीं की जा रही थी जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को परिशिष्ट- "च" द्वारा उपलब्ध करवाई सूचनानुसार, नगर पंचायत की अवधि- 2019-22 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹1366560/- पर देय GST 18%

of ₹1366560= ₹245980.8 की वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए नगर पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नहीं की गई जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता बारे प्रमुखता आधार पर विशेष कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Year	Annual Demand of Shop Rent	Due GST @18% on Demand of Shop Rent
2019-20	454720.00	81849.6
2020-21	455920.00	82065.6
2021-22	455920.00	82065.6
<b>Total</b>	<b>₹1366560.00</b>	<b>₹245979</b>

(ग) नगर पंचायत द्वारा 12 आबंटियों से ₹25.37 लाख किराए की वसूली लम्बित :-

अंकेक्षण को परिशिष्ट- "च" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक- 31.03.2022 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹3338879.00 की राशि वसूली हेतु शेष थी। दुकान किराया रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि वर्णित शेष राशि में केवल 12 आबंटियों से ही निम्न विवरणानुसार ₹2536625.00 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी जिस हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया साथ ही अंकेक्षण अवधि के दौरान इन मामलों में कोई भी पत्राचार नहीं किया गया। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ

लाया जाता है कि उक्त वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No	Name of Allottee	Amount (Rs)
1	Sh. Dinesh Kumar	256960.00
2	Sh. Sandeep Kumar	119200.00
3	Sh. Ramesh Sharma	211605.00
4	Sh. Ravinder Kumar	250696.00
5	Smt. Usha Sharma	309266.00
6	Sh. Dinesh Bhota	192000.00
7	HPMC	355047.00
8	Sh. Naveen Kimta	257761.00
9	Sh. Deepak Chandel	181076.00
10	Sh. Kamal Thakur	181376.00
11	Smt. Anjana Negi	120062.00
12	Sh. Jag Jivan Gupta	101576.00
<b>Total</b>		<b>₹2536625.00</b>

(घ) दुकानों के किराए के अनुबंध का नवीनीकरण न करना :-

दुकानों से सम्बंधित प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दुकानों के साथ नगर पंचायत द्वारा किए गए किराये से संबन्धित अनुबंध के समाप्त होने के उपरांत वर्तमान समय तक निम्न वर्णित किराये के अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार किराये के अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार/अनुबंध शर्त अनुसार किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः सभी दुकानों का अनुबंध वार्षिक आधार/ अनुबंध शर्त अनुसार पर किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण (Renew) किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

<b>Detail of Shopkeeper whose agreement has not been renewed till march-2022</b>					
Sr. No.	Name of shopkeeper	Shop No	Date of Agreement	Due date of Renewal of Agreement	Remarks
1	Sh. Dinesh Kumar S/o Lt. Sh. Shyam Singh		3.4.2017	1.4.2020	Rent agreement has not renewed till

		Nil			march-2022
2	Sh. Suresh Kumar S/O Sh. Partap Singh	5	5.1.2017	1.4.2018	-do-
3	Sh. Hintander Negi S/O Sh. Ranjor negi	Nil	3.3.2017	1.4.2018	-do-
4	Sh. Rajesh Kumar S/O Sh. Tainya Ram	Nil	3.3.2017	1.4.2020	-do-
5	Sh. Kanahiya Lal S/O Sh. Narayan	Nil	5.4.2017	1.4.2020	-do-
6	Smt. Janki Devi W/F Prem Prakesh	Nil	31.3.2017	1.4.2020	-do-
7	Sh. Yoginder Singh Mehta S/O Sh. Ram Saran Mehta	Nil	24.4.2017	1.4.2020	-do-
8	Sh. Bilam Ram Singh S/O Sh. Daulat Ram	Nil	31.3.2017	1.4.2018	-do-
9	Smt. Anjna Negi W/O Sh. Dinesh Negi	Nil	3.4.2017	1.4.2018	-do-
10	Sh. Ranjander Kumar S/O Sh. Gopal Singh	Nil	31.3.2017	1.4.2018	-do-
11	Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Jhathu	Nil	3.4.2017	1.4.2020	-do-
12	Sh. Jagjewan Ram S/O Sh. Dev Shankar	Nil	31.3.2017	1.4.2018	-do-
13	Sh. Ajay Gupta S/O Chote Lal Gupta	Nil	5.4.2017	1.4.2020	-do-

**(ड) दुकानों के किरायदारों के साथ अनुबन्धों का कार्यान्वयन न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के आबंटन से संबन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित दुकानों के आबंटियों के साथ नगर पंचायत द्वारा आबंटन तिथि से ही अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार किराये का अनुबंध दुकान आबंटन की तिथि से तथा तदोपरान्त अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार पर या नवीनीकरण की देय तिथि पर किया जाना आवश्यक है ताकि पंचायत के हितों को

पूर्णतः सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः सभी दुकानों के किरायेदारों के साथ किराये से सम्बन्धित अनुबंध का कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<b>Detail of Shopkeeper Whose Agreement Has not Been Made</b>			
	<b>Name of Allotees</b>	<b>Date of Allotment</b>	<b>Due Date of Agreement</b>
1	Bachitter Singh	1/12/1986	1/12/1986
2	Balbir Jhagta	1/12/1986	1/12/1986
3	Deepak Chandel	1/12/1996	1/12/1996
4	Hari Ram	1/12/1986	1/12/1986
5	Joginder Zinta	1/12/1986	1/12/1986
6	Kamal Thakur	1/3/1995	1/3/1995
7	Keshav Ram	1/10/1988	1/10/1988
8	Kewal Ram	1/12/1986	1/12/1986
9	Kuldeep Chand	1/11/1991	1/11/1991
10	Naveen Kimta	1/6/1989	1/6/1989
11	Niranjan Thakur	1/12/1986	1/12/1986
12	Pardeep Mehta	1/5/1997	1/5/1997
13	Pawan Kumar	1/12/1986	1/12/1986
14	Perma Nand	1/12/1986	1/12/1986
15	Pradeep Kumar	23-6-1998	23-6-1998
16	Raghubir Singh	1/10/2000	1/10/2000
17	Ramesh Bragta	1/12/1986	1/12/1986
18	Ravinder	1/4/1995	1/4/1995
19	Ritesh Thakur	1/12/1986	1/12/1986
20	Shivinder Singh	1/12/1986	1/12/1986

21	Subhash Chand	1/12/1986	1/12/1986
22	Suresh Chauhan	1/12/1986	1/12/1986
23	Usha Sharma	1/10/2000	1/10/2000
24	HPMC	1/5/2006	1/5/2006

**12 अंकेक्षण अवधि के दौरान बिजली बोर्ड से प्राप्त बिजली उप-कर राशि ₹6.48 लाख की पड़ताल हेतु सम्बंधित आवश्यक विवरण प्राप्त न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. -(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा- 69 के अनुसार, नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उप-कर हि.प्र.बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल को अवधि 04/2019 से 03/2022 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹647698/- बिजली उप-कर के रूप में प्राप्त हुई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि के अपने परिक्षेत्र में प्रति यूनिट खर्च हुई बिजली की खपत सम्बन्धी पूर्ण विवरण, हि.प्र. बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त राशि किस अवधि के खर्च हुई बिजली की खपत की एवज में प्राप्त हुई, इसका विवरण अभिलेख में संलग्न नहीं था जिसे हि.प्र. बिजली बोर्ड से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि.प्र. बिजली बोर्ड से नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान प्रति यूनिट खर्च हुई बिजली का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त अवधि में प्राप्त शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सकें।

Electricity Cess Statement				
Period for which amt. received	Amount Received (₹)	Date Of Receipt	Cash book Page No	Remarks
Not Mentioned	647698	26.08.2020	139	Detail of consumption of electricity (per unit) and period for which amt. has been received not enclosed in records.
<b>Total</b>	<b>₹647698/-</b>			

- 13 अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब उप-कर की प्राप्त राशि ₹4.14 लाख की जाँच हेतु सम्बंधित आवश्यक विवरण प्राप्त न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उप-कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹413640/-आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप-कर के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त राशि किस अवधि के शराब बिक्री की एवज में प्राप्त हुई, इसका विवरण अभिलेख में संलग्न नहीं था जिसे आबकारी विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से

2021-22 के दौरान शराब की बोटलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त अवधि में प्राप्त शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सके।

<b>Detail of Liquor Cess Received</b>				
<b>Year</b>	<b>Amount Received (₹)</b>	<b>Date Of Receipt</b>	<b>Cash book Page No</b>	<b>Remarks</b>
<b>2019-20</b>	183912	21.03.2020	131	Detail of consumption of Liquor (Per bottle) and period for which amt. has been received not enclosed in records.
<b>2020-21</b>	116825	15.03.2021	154	
<b>2021-22</b>	82931	1.11.2021	167	
	29972	24.02.2022	175	
<b>Total</b>	<b>₹413640/-</b>			

**14 मोबाईल टावर शुल्क:-**

**(क) मोबाईल टावर शुल्क ₹1.02 लाख वसूली हेतु शेष:-**

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc) दिनांक 20.06.2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत/पंचायत क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹25000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹12500.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धित कम्पनी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान मोबाईल टावर रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 तक नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹102500/- वसूली हेतु शेष थी (जिसका विवरण परिशिष्ट-"छ" पर भी दिया गया है) जिसके सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस संदर्भ में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या-NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित देय राशि की वसूली हेतु तुरन्त नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

<b>Mobile Tower Renewal Fees Statement (2019-22)</b>					
<b>Year</b>	<b>Opening Balance (₹)</b>	<b>Demand (₹)</b>	<b>Total (₹)</b>	<b>Collection (₹)</b>	<b>Closing Balance (₹)</b>
<b>2019-20</b>	36875	21875	58750	Nil	<b>58750</b>
<b>2020-21</b>	58750	21875	80625	Nil	<b>80625</b>
<b>2021-22</b>	80625	21875	102500	Nil	<b>102500</b>

**(ख) मोबाईल टावर शुल्क ₹0.59 लाख की कम मांग व वसूली करना:-**

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक-25.09.2006 व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), 96 दिनांक- 21.6.2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष-2017-18 से मोबाईल टावर नवनीकरण शुल्क ₹12500/- प्रति वर्ष प्रति टावर की दर से मांग व वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष-2017-18 से निम्न विवरण अनुसार (जिसका विवरण परिशिष्ट-“छ” पर भी दिया गया है) निर्धारित दर से मांग व वसूली न करने के कारण नगर पंचायत को दिनांक 31.03.2022 तक ₹59375/- की वित्तीय हानि हुई। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या- NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर वित्तीय हानि की भरपाई सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of company</b>	<b>No. of year for less demand raised (2017-18 to 2021-22)</b>	<b>Demand raised by NP Chopal(₹)</b>	<b>Demand as per Govt approved rates (₹)</b>	<b>Difference (₹)</b>	<b>Less Demand/ Recovery (₹)</b>
1	Reliance Communication tower at ward	5	7812.50	12500	2812.5	14062.5

	No. 2					
2	Bharti Infratel Ltd. (Airtel Tower) ar ward No. 3	5	7812.50	12500	2812.5	14062.5
3	Mobile Tower Bharti Infratel Ltd. At ward No. 5	5	6250	12500	6250	31250
<b>Total</b>						<b>₹59375/-</b>

**15 भवन नक्शा पारित शुल्क ₹0.09 लाख की कम वसूली करने के कारण वित्तीय हानि:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या-T.C.P.-A(3)1/2005 दिनांक-26.2.2007 व तत्पश्चात पत्रसंख्या- HIM/TP/PP/PJT-Genl /Sws-vol-111/09-8664-91 दिनांक-20-9-2014 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, नगर पंचायत परिधि में आवासीय, व्यवसायिक व रिहायशी प्रयोग हेतु भवन नक्शा पारित फीस 2.5/- प्रति वर्ग मीटर Of Plot Area तथा Approved Building Area के लिए फ्लोर एरिया के हिसाब से विभिन्न दरे निर्धारित की गई है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा निम्न प्रकरणों में भवन नक्शा पारित करवाने हेतु नियमानुसार देय फीस की कम वसूली करने के कारण ₹9685/- की वित्तीय हानि हुई, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल ने पत्र संख्या- NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹9685/- की वसूली उचित स्रोत से करते हुए नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name & Address	Total Plot Area in Sqm	Approved Building area in Sqm	Total Amount of fee Due (₹)	Amount Received (₹)	Less Receipt (₹)	Detail of amount due	Remarks
1	Smt. Blasu Devi D/o Sh. Molli Ram Ward No. 1	79.05 Sqm	236.79sqm (Residential Use)	<b>3986.27</b>	1184	2802.27	Total amount due of Plot Area 79.05 sqm @2.50= <b>197.63</b>  Total amount due of approved building area= 236.79sqm @16= 3788.64 Total=197.63+3788.64= <b>3986.27</b>	Map approved on Dated 05.04.2019
2	Sh. Gulab Singh S/o Sh. Dula Ram Ward No. 5	131.29 Sqm	396.90sqm (Residential Use)	<b>6678.62</b>	4209	2469.62	Total amount due of Plot Area 131.29 sqm @ 2.5= <b>328.22</b>  Total amount due of approved building area= 396.90sqm @ 16= <b>6350.4</b>  <b>Total=328.22+6350.4=6678.62</b>	Map approved on Dated 10.07.2019
3	Sh. Lokinder Singh S/o Sh. Gian Singh Ward No. 7	154 Sqm	538.65sqm (Residential Use)	<b>9003.4</b>	4590	4413.4	Total amount due of Plot Area 154 sqm @2.5= <b>385</b> Total amount due of approved building area= 538.65 sqm @ 16= <b>8618.4</b> <b>Total=385+8618.4=9003.4</b>	Map approved on Dated 24.10.2019
<b>Total Less Receipt of Map Approval Fee</b>						<b>₹9685.29</b>		

## 16 बिजली अनापति प्रमाण पत्र फीस ₹500/- की कम वसूली करने बारे :-

बिजली/पानी के अनापति प्रमाण पत्र रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार वर्णित भवन मालिक को 2 Nos Electric Connection हेतु अनापति प्रमाण जारी किया गया था जिस हेतु भवन मालिक से रसीद संख्या 5218 दिनांक 23.10.2020 द्वारा ₹500/- की वसूली की गई थी, जबकि 2 Nos Electric Connection हेतु ₹1000 (500 per each connection) की कुल वसूली देय बनती थी जिस कारण वर्णित भवन मालिक से बिजली अनापति प्रमाण पत्र फीस ₹500/- की कम वसूली की गई जोकि एक वितीय अनियमितता है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-30/22 दिनांक-28.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत

चौपाल ने पत्र संख्या- NP/CPL/2022-789 दिनांक-31.12.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹500/- की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Applicant whose favour NOC issued	Purpose for which NOC issued	Total Amount of NOC Fees Received	Total Amount of NOC Fees Should be Received	Total Less Receipt (₹)
1	Sh. Mohan Lal s/o Sh. Kesu Ram r/o ward No. 02 NP Chopal	2 Nos. Electric Connection	500	500x2=1000	500
<b>Total Less Receipt</b>					<b>₹500/-</b>

**17. संस्थापना:-**

(क) श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में ₹6.80 लाख का अधिक भुगतान:-

सचिव नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय आदेश संख्या सचिव-एन0पी0-98-710 दिनांक 25.11.1998 द्वारा श्री राजिन्द्र सिंह झारटा की लिपिक के पद पर दिनांक 1-4-98 से वेतनमान ₹3120-5160 में नियुक्ति की गई थी। श्री राजिन्द्र सिंह झारटा का दिनांक 1.1.2008 से संशोधित वेतनमानों ₹5910-20200+1950 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित किया गया था परन्तु सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत श्री राजिन्द्र सिंह झारटा, लिपिक का वेतन 1.1.06 से पे बैंड ₹5910-20200+1900 ग्रेड पे में निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु सेवा पुस्तिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	दिनांक/विवरण	1.1.06 को असंशोधित वेतनमान से मूल वेतन	1.1.06 को नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो निर्धारित होना चाहिए था	1.1.06 से सेवा पुस्तिका में दर्ज/निर्धारित संशोधित मूल वेतन	1.1.06 से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
1	1.1.06	4020	9380 (7480+1900)	9880 (7930+1900)	9380 (7480+1900)
2	1.4.06 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4140	9670 (7770+1900)	10180 (8230+1950)	9960
3	1.4.06 (आठ वर्ष के उपरान्त ए०सी०पी०एस०)	4260	10010 (8060+1950)	10180 (8540+1950)	9960
4	1.4.07 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4400	10310 (8360+1950)	10490 (8860+1950)	10260
5	1.4.08 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4550	10620 (8670+1950)	10810 (9190+1950)	10570
6	1.4.09 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4700	10940 (8990+1950)	11140 (9530+1950)	10890 (1.10.09 =12350)
7	1.4.10 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11270 (9320+1950)	11480 (9880+1950)	12720
8	1.4.11 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11610 (9660+1950)	11830 (10240+1950)	13110
9	1.4.12 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11960 (10010+1950)	12190 (10240+1950)	13110 (1.8.12= 13510, 1.10.12= 15210)
10	1.10.12 (संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने पर)	—	13500 (10300+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15210 =(11610+3600)
11	1.10.13 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	13910 (10710+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15670 (12070+3600)
12	1.10.14 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16140 (12540+3600)
13	1.4.2015	—	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
14	1.10.15 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
15	1.4.2016	—	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)
16	1.10.16 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	15210 (12010+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)
17	1.4.2017	—	15210 (12010+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की	17650 (14050+3600)

				गई थी	
18	1.10.17 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	15670 (12470+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17650 (14050+3600)
19	1.4.18	—	15670 (12470+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18180 (14580+3600)
20	1.10.18 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	16140 (12940+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18180 (14580+3600)
21	1.4.19	—	16140 (12940+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18730 (15130+3600)
22	1.10.19 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	16630 (13430+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	18730 (15130+3600)
23	1.4.20	—	16630 (13430+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	19500 (15700+3800)
24	1.10.20 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	17130 (13930+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	19500 (15700+3800)
25	1.4.21	—	17130 (13930+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20090 (16290+3800)
26	1.10.21 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	17650 (14450+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20090 (16290+3800)
27	1.4.22 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	17650 (14450+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	20700 (16900+3800)

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में वर्णित देय वेतन से कम व ज्यादा वेतन, अनियमित रूप से आहरित करके भुगतान करने के अतिरिक्त दिनांक 1.10.09 के पश्चात बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/कार्यालय आदेश के वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10(क)में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री राजिन्द्र सिंह लिपिक को अवधि 1.10.09 से 31.03.2022 तक परिशिष्ट "ज" पर वर्णित विवरणानुसार ₹679753/- के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया है। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-32/22 दिनांक-29.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वर्तमान समय तक कोई कार्रवाई न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-NP/CPL/2022-790 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार वेतन निर्धारित करके वेतन व भत्तों के पाए गए अधिक भुगतान की संस्था स्तर पर गणना करने के उपरान्त सम्बन्धित से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के नियुक्तियां करने के कारण ₹19.15 लाख का अनियमित व्यय करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर निम्न विवरण अनुसार विभिन्न कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किये बिना नगर पंचायत के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था जिनके वेतन पर नियुक्ति की तिथि से 31.03.2022 तक ₹1915066/- के वेतन/मजदूरी का अनियमित व्यय भी किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग से स्वीकृति/अनुमति नहीं ली गई थी जबकि Himachal Pardesh Municipal Service Act 1994 के प्रावधानानुसार यदि नगर पंचायत को किसी कर्मचारी की किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो उस स्थिति में पद सृजन व नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-32/22 दिनांक-29.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-790 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

<b>Name &amp; Designation of Employee</b>	<b>Date of Appointment</b>	<b>Detail of Appointment</b>	<b>Amount of Salary Expenditure from Date of appointment to 31.03.2022 (₹)</b>
Sh. Ramesh Chand (Saffai Staff)	1.8.2018	Appointed on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai works in different Ward vide resolution no. 74 dated 8.8.2018	280761
Sh. Surender Kumar (Saffai Staff)	1.8.2018	Appointed on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai works in different Ward vide resolution no. 74 dated 8.8.2018	37170
Sh. Sunil Kumar alias Sonu (Saffai Staff)	1.8.2018	Appointed on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai works in different Ward vide resolution no. 74 dated 8.8.2018	345750
Sh. Vipin Parmar alias Roshan Lal (Saffai Staff)	1.8.2018	Appointed on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai in different Ward vide resolution no 74 dated 8.8.2018	345750
Sh. Kewal Ram (Saffai Staff)	1.8.2018	Appointed on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai in different Ward vide resolution no 74 dated 8.8.2018	346914
Sh. Naresh Kumar (Saffai Staff)	1.7.2019	Appointed Directly on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai in different Ward without resolution.	280671
Sh. Manoj Kumar	1.7.2019	Appointed Directly on daily wages basis for Door to Door Garbage Collection and saffai in different Ward without resolution.	278050
<b>Total Expenditure incurred as on 31.3.2022</b>			<b>₹1915066/-</b>

**(ग) कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण व अद्यतन न करना:-**

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश)-1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधानानुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किशतों में एडवांस क्रेडिट देते हुये पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-32/22 दिनांक-29.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-790 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name of Employee	Designation	Period for which earned leave account not Completed	Period for which H.P.L. leave account not Completed
1	Sh. Rajinder Singh	Clerk	1.7.2014 to 31.3.2022	1.7.2014 to 31.03.2022
2	Smt. Soda Devi	Saffai Staff	1.7.2018 to 31.3.2022	1.1.2018 to 31.03.2022
3	Preety Thakur	Clerk	08.11.2021	From the date of Joining
4	Anil Kumar	Peon	10.03.2021	From the date of Joining

**(घ) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवम 7.15 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा पंजिकाओ में कर्मचारियो से संबन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की पृविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ का अवलोकन करने पर

पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।

अतः कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में कार्रवाई करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name of employee	Designation	Remarks
1	Rajinder Singh	Clerk	Enteries reg. pay fixation had not been made in the Service Book and service not verified from 1.4.2012 to 31.3.2022.
2	Soda Devi	Saffai Staff	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation has not been verified by the Competent Authority in column no 9 and service not verified from 1.4.2011 to 31.3.2022.
3	Preeti Thakur	Clerk	Enteries reg. pay fixation has not been verified by the Competent Authority.
4	Anil Kumar	Peon	Enteries reg. pay fixation has not been verified by the Competent Authority.

18 पेंशन और ग्रेच्युटी फंड:-

(क) वित्तीय स्थिति:-

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-"झ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर पंचायत के पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की अवधि 01.04.19 से 31.03.22 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

FINANCIAL POSITION Pension & Gratuity Of Nagar Panchayat Chopal, Distt. Shimla(H.P.)						
Year	Opening Balance	Receipt During The Year	Interest	Total	Total Payments	Closing Balance
2019-20	920054.00	114752.00	33665.00	1068471.00	Nil	1068471.00
2020-21	1068471.00	112752.00	30070.00	1211293.00	Nil	1211293.00
2021-22	1211293.00	103356.00	31371.00	1346020.00	Nil	1346020.00
Total as per Cash Book as on 31.03.2022						1346020.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2022 (Detail Given Below)						1346020.00

Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2022	<b>0.00</b>
<b>Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022</b>	
UCO Bank a/c No. 04110110004715	1346020.00
<b>Total</b>	<b>₹1346020.00</b>

पेंशन व ग्रेच्युटी निधि का अंकेक्षण करने के दौरान निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) नगर पंचायत द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी निधि राशि हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के बैंक खाता संख्या-04110110004715 में जमा की जा रही थी जोकि श्री राजेन्द्र सिंह, क्लर्क के नाम से खोला गया है तथा सचिव नगर पंचायत के नाम से pledge किया गया है, जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी निधि का बैंक खाता सचिव नगर पंचायत के नाम से संचालित किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त व्यवस्था को तुरन्त बंद करके पेंशन व ग्रेच्युटी निधि का बैंक खाता सचिव नगर पंचायत के नाम से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में नगर पंचायत द्वारा 17% (12% + 5%) पेंशन व ग्रेच्युटी अंशदान के अतिरिक्त श्री राजेन्द्र सिंह क्लर्क के द्वारा 10% G.P.F. व्यक्तिगत अभिदान की राशि भी जमा की जा रही थी जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार G.P.F के अभिदान हेतु अलग G.P.F निधि व बैंक खाते का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा यथानुसार परामर्श दिया जाता है कि पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जो राशि G.P.F की जमा है उसकी गणना विभागीय स्तर पर करके G.P.F निधि बैंक खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS)**

अंकेक्षण को परिशिष्ट-“ज” पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 की अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) की वित्तीय स्थिति” निम्न प्रकार से है:-

<b>FINANCIAL POSITION Of Contributory Pension Scheme of Nagar Panchayt Chopal, Distt. Shimla(H.P.)</b>						
<b>YEAR</b>	<b>OPENING BALANCE</b>	<b>RECEIPT DURING THE YEAR</b>	<b>Interest</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL PAYMENTS</b>	<b>CLOSING BALANCE</b>
<b>2019-20</b>	400805	53628	14675	<b>469108</b>	0	<b>469108</b>
<b>2020-21</b>	469108	55016	13249	<b>537373</b>	0	<b>537373</b>
<b>2021-22</b>	537373	96486	14235	<b>648094</b>	11.33	<b>648082.67</b>
<b>Total as per Cash Book as on 31.03.2022</b>						<b>648082.67</b>
<b>Total as per Bank Accounts as on 31.03.2022(Detail Given Below)</b>						<b>648082.67</b>
<b>Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2022</b>						<b>0.00</b>
<b>Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022</b>						
HP UCO Bank A/c No. 04110110063538						11200.00
HP UCO Bank A/c No. 04110110060803						34425.00
HP UCO Bank A/c No. 04110110004708						602457.67
<b>Total</b>						<b>₹648082.67</b>

(ग) सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे तथा इन नियमों के नियम- 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इस का रख-रखाव भी किया जायेगा और उप नियम 3 में प्रावधान अनुसार सभी नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के

लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा था जोकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 की सरासर अवहेलना हैं। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता हैं।

**19 व्यय:-**

(क) वा० सं० 7/7 दिनांक -7.7.2020 के तहत किए गए राशि ₹2.01 के अनियमित भुगतान व सामग्री के संभावित दुर्विनियोजन बारे :-

उपरोक्त वाउचर के अंकेक्षण में पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बलबीर हार्डवेयर स्टोर को कुल राशि ₹201378/- भुगतान किया गया था, जिसके अंतर्गत ₹135744/- का भुगतान निम्न वर्णित वस्तुओं की खरीद हेतु व ₹40000/- का भुगतान कारपेंटर चार्जेज तथा ₹1200/- का भुगतान फ्रेट चार्जेज हेतु किया गया था उपरोक्त उल्लेखित क्रय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ अपेक्षित हैं जिनका यथोचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए :-

Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Purchasing Agency	Description of Goods	Qty.	Rate (Per Unit)	Amount			
7/7 – 7.7.2020	828 dated 20.06.2020	Balbir Hardware Store	Ply 19mm 8x4 w/p	44 pcs	1484	65296			
			Board 19mm 8x4 w/p	15 pcs	1398	20970			
			Abro tape	25 pcs	30	750			
			Nails 2”to3” thick	10kg	68	680			
			Nails 1”	1kg	100	100			
			Bousel 6x3	2pcs	762	1524			
			Mica-8	33pcs	720	23760			
			Mica	6pcs	1056	6336			
			Fevicol 20kg	1 Nos	3983	3983			
			Fevicol 10Kg	2 Nos	2118	4236			
			Hatex fevicol	10kg	398	3980			
			Beading	750Rmt	3.2	2400			
			Handle	6 Nos	84	504			
			Kabza 6”	35.16	24	844			
			Screw 20x5	3 packet	127	381			
			<b>Total</b>						<b>135744.00</b>
			<b>CGST@9%</b>						<b>12216.96</b>
<b>SGST@9%</b>						<b>12216.96</b>			
<b>Carpenter Charges</b>						<b>40000/-</b>			
<b>Freight</b>						<b>1200</b>			
<b>Total amt. of Bill</b>						<b>₹201378/-</b>			

- (i) उपरोक्त उल्लेखित सामान को क्रय करने से पूर्व नियमानुसार विहित कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी अर्थात् न तो टेंडर आमंत्रित किए गए थे व न ही कोटेशनस जोकि "हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 101 के दिशा निर्देशों के विपरीत है।
- (ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी/स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था।
- (iii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय सामान के बिल को माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित बिल में ₹40000/- Carpenter Charges हेतु बिल के माध्यम से ही सीधे भुगतान किये गये थे, जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, इसके अतिरिक्त वर्णित क्रय की गई सामग्री का प्रयोग किस कार्य हेतु किया गया, इस सन्दर्भ में को भी प्रमाणपत्र अभिलेखों में संलग्न नहीं थे, जिसके अभाव में वर्णित सामान के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वांछित अनियमितताओं का आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण औचित्य स्पष्ट करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों हेतु किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व को हुई ₹0.14 लाख की हानि बारे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या -2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागो, बोर्ड, कार्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से विज्ञापन न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन की एवज में भुगतान की जाने वाली राशि मे से 15% कमीशन के रूप

में कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरो की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन के रूप में ₹96442/- का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया तथा यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी जोकि सरकार के नियमों की अवेहलना है। उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार यदि विज्ञापन पर व्यय की गई राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी तो व्यय की गई राशि में से 15% की दर से कमीशन के तौर पर कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कमीशन के रूप में ₹14446/- (₹96442/- X 15%= ₹14446/-) की राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परंतु नगर परिषद ऐसा नहीं किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से ₹14446/- की हानि हुई। वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः इस संदर्भ में वांछित कार्रवाई पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

<b>Detail of Expenditure incurred on Advertisements</b>				
<b>Voucher no /Date</b>	<b>Cash Book Page No.</b>	<b>Amount</b>	<b>To Whom Paid</b>	<b>Purpose</b>
2/10-5.10.2019	119	36473	Amar Ujala Publication Ltd.	Publication of Tender Notice
2/11-7.11.2020	146	46361	Amar Ujala Publication Ltd.	Publication of Tender Notice
8/2-17.2.2022	174	13608	Punjab Kesri	Publication of Tender Notice
<b>Total</b>		<b>₹96442/-</b>		

(ग) “Non recycle and single use plastic policy” के अंतर्गत किये गये भुगतान ₹0.24 लाख की प्रतिपूर्ति हेतु शहरी विकास विभाग के माध्यम से दावा प्रस्तुत न करना।

अंकेक्षण के दौरान “Non recycle and single use plastic policy” रजिस्टर व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: एसटीई-एफ (4)-1/2017 दिनांक 1.10.2019 द्वारा Buy back of Non-recycle and single use plastic policy प्रारम्भ की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक 663.870 किलो ग्राम Non-recycle and single use plastic की खरीद की गई थी जिसके भुगतान के लिए उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित दर ₹75 प्रति किलो ग्राम की दर से ₹24040/- का भुगतान किया गया था। अधिसूचना के पैरा संख्या: 9-आई के परिशिष्ट-एफ के अनुसार नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त पॉलिसी के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दावा/प्रकरण निदेशक शहरी विकास कार्यालय के माध्यम से पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित था परन्तु नगर पंचायत द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक: 31.03.2022 तक इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि नगर पंचायत की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है अतः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार यथासमय शहरी विकास विभाग के माध्यम से वर्णित राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Qty. of Non-recycle and single use plastic received	Register Page No.	Rate as per Govt. Notification @ 75/kg	Vr. No. & Date	Amount Paid (₹)
111.70 kg	2	75kg	4/10.12.2020	8377
94.15 kg	3	75kg	6/6 02.06.2021	7061
114.73kg	4 to 5	75kg	3/1.11.2021	8602
<b>Total Payment Made</b>				<b>₹24040/-</b>

(घ) कार्यालय कुर्सियों व मेज का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म व लेज़र प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था।

Sr. No.	Vr. No. & Date	Cash Book Page No.	Name of Agency	Description of purchased material	Total Value	
1	02/ 02.07.2020	137	Paid to Sharma Agency, Shanti Niketan, chakkar Shimla	Purchase of office material viz. 5 nos chairs, 1 nos office table	65608	
					<b>Total</b>	<b>₹65608/-</b>
2	9/7 – 31.07.2019	113	Paid to Chauhan Computers Chopal	1Nos Canon Laser Printer 3010	14800	
					<b>Total</b>	<b>₹14800/-</b>

उपरोक्त उल्लेखित बिल/ वाउचरों की पड़ताल पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

- (i) उपरोक्त क्रम सख्या (1) पर उल्लेखित कार्यालय कुर्सियों व मेज का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अनिवार्य था। जबकि नगर पंचायत द्वारा कार्यालय मेज का क्रय शर्मा एजेंसी, शांति निकेतन, चक्कर शिमला से किया गया है। अतः उक्त कार्यालय कुर्सियों व मेज का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरांत किसी भी सम्भावित अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।
- (ii) उपरोक्त क्रम सख्या (2) पर उल्लेखित लेज़र प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से किया जाना अनिवार्य था जबकि नगर पंचायत द्वारा लेज़र प्रिंटर का क्रय चौहान कंप्यूटर चौपाल से किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरांत किसी भी अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

उक्त अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल के ध्यानार्थ लाया गया था। जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या-

NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन से किया जाएगा। अतः भविष्य में क्रय सम्बन्धी विहित प्रक्रियाओं का नियमानुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही उक्त विवरणानुसार किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**(ड) क्रय किए गए सामान ₹2.28 लाख का स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/ खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरुूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

Voucher no & Date	Cash book page no	Amount Paid (₹)	To whom Paid	Purpose
9/7 – 31.07.2019	113	14800	Paid to Chauhan Computers Chopal	1Nos Canon Laser Printer 3010
4/23.10.2019	120	24600	Paid to Balbir Hardware Store Chopal	Purchase of Kitchen articles
5/19- 30.12.2019	126	18871	Paid to M/s Krishna Hardware Chopal	Purchase of electrical, and hardware material
		10600	M/s Haneef Mohamad & Sons	Purchase of Sanitation Material
		10200	Shirgu Auto Mobiles	Purchase of street light Bulb Stand
		9270	M/s RK Electrical & Electronics	Purchase of Electrical Material
Nil/01.01.2020		4500	Sh. Sai Hardware Store Chopal	Purchase of Brooms
		3168	Krishna Hardware Chopal	Purchase of 4 Pcs grass cutter talwar and 45m service wire
02/02.07.2020	137	65608	Paid to Sharma Agency, Shanti Niketan , chakkar Shimla	Purchase of office material viz. 5 nos chairs, 1 nos office table
3/9 - 05.09.2020	140	9500	Dharam chand Vinod Kumar Kuthiala	Purchase of Weighing Mashine for Plastic buy

				back policy
3/5.8.2021		10000	M/s BS Traders Sai Complex Chopal.	Purchase of Brooms 100 kg
Nil-05.03.2021	153	47500	Paid to Raj furniture house	Purchase of office material viz. Table, office chair, carton etc.
<b>Total</b>		<b>₹228617/-</b>		

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का पुनः औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(च) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना नगर पंचायत निधि ₹1.00 लाख की राशि का अनियमित क्रय:-**

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम- 2009 के नियम 122(B) के अनुसार ₹3000/- से अधिक मूल्य के क्रय हेतु कोई निविदा/कोटेशन इत्यादि खुले बाज़ार से आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर पंचायत निधि से ₹100108 किए गए विभिन्न व्ययों जिनका विवरण निम्न दिया गया हैं के संबंध में अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि इन भुगतानों को करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई निविदा/कोटेशन इत्यादि खुले बाज़ार से आमंत्रित नहीं की गई थी, जिससे बाज़ार प्रतिस्पर्दा का लाभ नहीं उठाया गया।

Voucher no & Date	Cash book page no	Amount Paid (₹)	To whom Paid	Detail of Payment
9/7 – 31.07.2019	113	14800	Paid to Chauhan Computers Chopal	1Nos Canon Laser Printer 3010
5/19- 30.12.2019	126	10200	Shirgu Auto Mobiles	Purchase of street light Bulb Stand
02/02.07.2020		65608	Paid to Sharma Agency, Shanti Niketan , chakkar	Purchase of office material viz. 5 nos chairs, 1 nos office table

			Shimla	
3/9 - 05.09.2020	140	9500	Dharam chand Vinod Kumar Kuthiala	Purchase of Weighing Mashine for Plastic buy back policy
<b>Total</b>		<b>₹100108</b>		

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः व्यय करने से पूर्व खुले बाज़ार से निविदा इत्यादि आमंत्रित न करने को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमितता को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में निधियों का प्रयोग करने से पूर्व बाज़ार से निविदा इत्यादि आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**(छ) बिजली के बिलों पर विलम्ब शुल्क की ₹0.06 लाख का अनियमित भुगतान करना:-**

अंकेक्षण के दौरान व्यय/भुगतान वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0 प्र0 राज्य बिजली बोर्ड-चौपाल को अदा किए गए बिजली के बिलों में निम्नानुसार बिलों को समय पर अदा न करने का विलम्ब शुल्क भी शामिल था। कार्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि विलम्ब शुल्क से बचा जा सके। ऐसा न करके नगर पंचायत निधि पर ₹5874.41/- का अनुचित प्रभार डाला गया है, जोकि अनुचित है।

<b>Detail of Payment of Surcharge on Electricity Bills</b>					
<b>Sr. No.</b>	<b>Vr. No. &amp; Date</b>	<b>Bill No.</b>	<b>Amount Payable by due date</b>	<b>Amount Payable after due</b>	<b>Surcharge Paid (₹)</b>
1	4/ 30.12.2019	0897164	14364	14635	271
2		0897163	37203	37893	690
3		0897523	231963	236293	4330
4		0897155	4705	4799	94
5	2/2.07.2020	250000351156	26439	26929	489.41
<b>Total</b>					<b>₹5874.41</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा । अतः बिजली के बिलों को समय पर अदा न करने के कारण विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि के संदर्भ में पुनः पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । साथ ही भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति से परिहार किया जाए ।

**(ज) यात्रा भत्ते राशि ₹0.11 लाख का नियमों के प्रतिकूल अधिक भुगतान :-**

हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या O.M No.6-4/74 Fin (Reg, Dated the 25<sup>th</sup> ,April 1975, read with O.M. No Fin (C) B(7)-14/98 dated 08-12-1998) द्वारा यात्रा भत्ते दावों को नियमित करने सम्बंधित नियम प्रतिपादित किये गए हैं जिसके दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल के यात्रा भत्ते बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹11460/- की राशि का भुगतान टैक्सी भाड़े के रूप में सहायक अभियंता को किया गया था जबकि यात्रा नियमों में यात्रा भत्ते के लिए टैक्सी भाड़े का भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है और न ही यात्रा भत्ते टैक्सी भाड़े हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई जिस कारण उक्त भुगतान अनियमित प्रतीत होता है ।

Name & Designation	Voucher No. & date	Date of Journey	Station from where journey Performed	Station to Where Journey Performed	T.A Drawn through Hiring of Taxi which is not admissible as per rule
Sh. Gopi Singh (SDO) 15800-39100+5400GP	3/7-02.07.2020	23.3.2020	Solan	Chopal	3820
			Chopal	Solan	
		23.5.2020	Solan	Chopal	3820
		24.5.2020	Chopal	Solan	
		29.6.2020	Solan	Chopal	3820
		02.7.2020	Chopal	Solan	
		<b>Total</b>			<b>₹11460/-</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा । अतः वर्णित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त यात्रा को सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए ।

**(झ) यात्रा भत्ते ₹80/- का नियमों के प्रतिकूल अधिक भुगतान :-**

हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या O.M No.Fin (C)-B(7)-1/2009 dated- 20.4.2012 व O.M No.Fin (C)-B(7)-1/2009 dated- 19.6.2012 द्वारा यात्रा भत्ते दावों को नियमित करने सम्बंधित नियम प्रतिपादित किये गए हैं जिसके दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल के यात्रा भत्ते बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सचिव नगर पंचायत चौपाल को निम्न विवरण अनुसार ₹80/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया क्योंकि वर्णित अवधि के दौरान सचिव नगर पंचायत चौपाल का ग्रेड पे- 4800 था जिस कारण प्रतिदिन की दर से ₹160/- का भुगतान देय बनता था किन्तु सचिव नगर पंचायत चौपाल द्वारा ₹180/- प्रतिदिन की दर से यात्रा भत्ते का दावा किया गया जिस कारण ₹80/- का अधिक भुगतान किया गया ।

<b>Name of Employee- Varun Kumar Sharma, Executive Officer (Basic Pay-10300+4800=15100)</b>					
<b>Vr. No &amp; Date</b>	<b>Rate admissible as per rules</b>	<b>Rates claimed as per bill</b>	<b>No. of days for which Claimed</b>	<b>Excess claimed</b>	<b>Journey Performed</b>
2/ 1.11.2021	160	180	2	40	04.10.21- Theog to Chopal 05.10.21- Chopal to Theog
9/17.02.2022	160	180	2	40	20.12.21- Theog to Chopal 22.12.21- Chopal to Theog
<b>Total</b>				<b>₹80/-</b>	

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वर्णित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त यात्रा को सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

## 20 निर्माण कार्य:-

(I) अनुबन्ध की मद 2 i.e “P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade” की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को ₹0.48 लाख का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य का नाम	R/M of Road with interlocking paver blocks from Bhagta house to Sh. Shirgule Devta Mandir at ward no.5
संविदाकार का नाम	Sh. Rai Singh
चलित बिल	1 <sup>st</sup> and Final Bill
Abstract of Cost MB	10/30
आबंटन पत्र संख्या	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1297-1300दिनांक 07/12/2020
वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि	07/02.11.2021 ₹891829/-

निर्धारित मानको के अनुसार CCInter Lock Paver Tiles के प्रकरण में CCInter Lock Paver Tiles को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए CCInter Lock Paver Tiles के दोनों तरफ CC 1:3:6 की लेयर डाली जाती हैं जिससे CCInter Lock Paver Tiles को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके। इस प्रकार जिस मात्रा के लिए CC 1:3:6 निष्पादित की जायेगी वहाँ पर CCInter Lock Paver Tiles नहीं लगाई जायेगी। उपरोक्त निर्माण कार्य में CC 1:3:6 की निष्पादित कार्य मात्रा को CCInter Lock Paver Tiles की निष्पादित कार्य प्रमात्रा मे से कम करके, CCInter Lock Paver Tiles की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था किन्तु वर्णित निर्माण कार्य के बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद 1 i.e. “P/L CC 1:3:6 in

foundation and plinth for side packing of pavers” जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade with 25mm thick cement mortar (1:4) का भी भुगतान किया गया था जो कि तय मानकों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की मद संख्या 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver M50 grade हेतु ₹47945.70 का अधिक भुगतान किया गया। जिसको न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Detail of Items	Item No	Qty.	Rate (₹)	Total Amount (₹)
Qty. of item No. 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade with 25mm thick cement mortar (1:4) Executed & Paid up to 1 <sup>st</sup> & Final bill as MB No. 10 Page.No.28	2	382.84 m <sup>2</sup>	1670 per m <sup>2</sup>	639342.80
Qty. of item No. 1 i.e P/L CC 1:3:6 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth for side packing of pavers Executed & paid up to 1 <sup>st</sup> & Final Bill in MB No. 10 P.No.27	1	4.75m <sup>3</sup>		
Qty. of item No. 1 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing that should be deducted from the Item No. 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade before making the payment to the Contractor. <b>28.71m<sup>2</sup> (382.84m<sup>2</sup>X0.075) (thickness taken 0.075 mtr. for side packing)</b>		28.71m <sup>2</sup>		
Net Qty. of Item No. 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade to be Paid up to 1 <sup>st</sup> and Final bill (382.84m <sup>2</sup> -28.71m <sup>2</sup> )		354.13m <sup>2</sup>	1670 per m <sup>2</sup>	591397.10
Excess payment made to Contractor in respect Item No. 2 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to M50 grade up to 1 <sup>st</sup> & final bill (28.71m <sup>2</sup> @1670)			<b>(639342.8 -591397.10)=</b>	<b>₹47945.70</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

(II) वाऊचर संख्या 06 दिनांक 04.10.2021 राशि ₹661689/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Community Toilet Near Police Station at ward no.3 NP Chopal
संविदाकार का नाम	Sh. Mohar Singh
चलित बिल	2 <sup>nd</sup> & Final Bill
Abstract of Cost MB	10/16
आबंटन पत्र संख्या	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1301-1304 दिनांक 07.12.2020

(क) अनुबंध की मद संख्या 10 i.e. “Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar(1:4)” की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 14 i.e “P/F 10mm thick anti skid water proof strain vertified tiles” हेतु संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 10 i.e. “Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar(1:4)” व 14 i.e “P/F 10mm thick anti skid water proof strain vertified tiles” के लिए माप पुस्तिका में वर्णित लम्बाई, चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 10 पृ. सं. 8 पर मद संख्या 14 i.e “P/F 10mm thick anti skid water proof strain vertified tiles” हेतु ब्रिक वर्क की तुलना में लम्बाई की मात्रा अधिक ली गई थी। जबकि नियमानुसार कार्य हेतु किये गये ब्रिक वर्क अनुसार ही उसमे टाइल्स का कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित था इस प्रकार मद संख्या 14 हेतु लम्बाई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹7410/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निचे दिया गया है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 10 i.e. "Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar(1:4)"	Qty Executed & Paid for Item No. 14 i.e "P/F 10mm thick anti skid water proof strain verified tiles"	Qty of Item No. 3 should be Executed and paid for 14 i.e "P/F 10mm thick anti skid water proof strain verified tiles" to the contractor	Diff. per m2	Rate (Per m2)	Total Excess Payment for Item No. 3
10/8	Longer Side- 1x2x4.50x2.60=23.40 m2 Shoter side- 2x3x2.60=15.60m2 Total=23.40+15.60=39.00m3	Longer Side- 1x1x5x2.60=13.00m2 Shoter side- 2x3.50x2.60=18.20m2 Total=13+18.20=31.20m3	Longer Side- 1x1x4.50x2.60=11.70m2 Shoter side- 2x3x2.60=15.60m2 Total=11.70+15.60=27.30m3	3.9m2	1900	7410
<b>Total</b>						<b>₹7410/-</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022

द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 10 i.e. "Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar (1:4)" के लिए संविदाकार को राशि ₹1768/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 10 i.e. "Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar (1:4)" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 10 पृ.स. 06 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 2.08m2 कार्य प्रमात्रा का ₹850/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹1768/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Less Deduction Calculated From Brick Work	Rate /m2 (₹)	Excess Amt. Paid (₹)
Item No. 10 "Half Brick Masonry common burnt clay building bricks in cement mortar (1:4)"	10/06	<b>Deduction from brick work- Door- 1x3x1.90x0.75=4.28m2 Ventilator- 1x2x0.75x0.45=0.68m2 1x1x1.20x0.30=0.36m2 Total Deductions= 4.28+0.68+0.36=3.24m2</b>	<b>Deduction from brick work- Door- 1x3x1.90x0.75=4.28m2 Ventilator- 1x2x0.75x0.45=0.68m2 1x1x1.20x0.30=0.36m2 Total Deductions= 4.28+0.68+0.36=5.32m2</b>	2.08m2	850/ m2	1768
					<b>Total</b>	<b>₹1768/-</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

(III) Back filling/ Stone filling की प्रमात्रा की चौड़ाई अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹684/-का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Wall with RR masonry near Panchayat Ghar in Mandir Road ward No. 4
संविदाकार का नाम	Sh. Ashwani Kumar Bhagta
चलित बिल	1 <sup>st</sup> & Final Bill
Abstract of Cost MB	08/82
आबंटन पत्र संख्या	CPL/NP/Engg./Tender-2019 दिनांक 07/01/2019
वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि	02/01.06.2019 ₹132266/-

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निष्पादित व भुगतान की गई प्रमात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद संख्या-5 i.e Back filling/ Stone filling behind R/wall के निष्पादन हेतु Back filling/ Stone filling की प्रमात्रा की चौड़ाई निर्धारित मानको के अनुसार 0.60 mtr लेने की अपेक्षा अधिक ली गई थी फलस्वरूप Back filling/ Stone filling की चौड़ाई निर्धारित मानकों से अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹684/- का अधिक भुगतान किया गया।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Qty of Item No. 5 Executed & Paid to the contractor	Qty of Item No. 5 should be Executed & Paid to the contractor as per Prescribed Standards	Excess Qty. Taken	Rate /m3 (₹)	Excess Amt. Paid (₹)
Item No. 5 "Back Filling/Stone Filling behind R/wall"	08/81	1x12x0.65x1.20= 9.36m3	1x12x0.60x1.20= 8.64m3	0.72m3	950	684
<b>Total</b>						<b>₹684/-</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

(IV) वाऊचर संख्या 06 दिनांक 27.07.2019 राशि ₹344000/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Dignostics facilities DL Lab at Sub-Divisional Hospital Chopal.
संविदाकार का नाम	Sh. Ashwani Kumar Bhagta
चलित बिल	1 <sup>st</sup> Running Bill
Abstract of Cost MB	08/87
आबंटन पत्र संख्या	CPL/NP/Engg./Tender-2019 दिनांक 07/05/2019

(क) अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. “Pdg form work with steel plates 3.15mm thick in column, pillars posts etc” हेतु माप पुस्तिका में रिकॉर्ड की गई प्रमात्रा की तुलना में भुगतान हेतु अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को राशि ₹450/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. “Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick in column, pillars posts etc” के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 08 पृ. सं. 84 (Record Entry) पर उपरोक्त मद संख्या की 13.15m<sup>2</sup> प्रमात्रा रिकॉर्ड की गई जबकि माप पुस्तिका संख्या 08 पृ. सं. 86 (Abstract Entry) में 14.40m<sup>2</sup> प्रमात्रा के लिए संविदाकार को भुगतान किया गया जिस कारण कुल 1.25m<sup>2</sup>(14.40m<sup>2</sup>-13.15m<sup>2</sup>) कार्य प्रमात्रा के लिए ₹360/-प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹450/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैं। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Qty. Recorded in MB	Qty. taken in Abstract MB	Excess Qty. Taken	Rate (Per Rmt)	Excess Payment (₹)
Item No.5 “Pdg form work with steel plates 3.15mm thick in column, pillars posts etc”	08/84 (Rec.) 08/86 (Ab.)	13.15m <sup>2</sup>	14.40m <sup>2</sup>	1.25m <sup>2</sup>	360	450
<b>Total</b>						<b>₹450/-</b>

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. “Excavation in Foundation trenches etc” और 3 i.e. P/L Cement Concrete 1:4:8 in foundation and plinth” के लिए संविदाकार को राशि ₹229/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. “Excavation in Foundation trenches etc” और 3 i.e. P/L Cement Concrete 1:4:8 in foundation and plinth” के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में उपरोक्त मदों की गणना गलत ली गई थी

जिस कारण संविदाकार को कुल राशि ₹229/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Excess Qty. Taken	Rate /m3 (₹)	Excess Amt. Paid (₹)
Item No. 2. "Excavation in Foundation trenches etc"	08/84	4x1.50x1.50x1.70 =15.71m3	4x1.50x1.50x1.70 =15.30m3	0.41m3	280	115
Item No.3 "P/L Cement Concrete 1:4:8 in foundation and plinth"	08/84	4x1.50x1.50x0.15 =1.38m3	4x1.50x1.50x0.15 =1.35m3	0.03m3	3800	114
<b>Total</b>						<b>₹229/-</b>

(V) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "P/F Precast checkered tiles 20mm thick in floors" के लिए संविदाकार को राशि ₹195/- का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य का नाम	P/F Precast Checkered tiles from Mandir road towards main road at ward No. 4
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjeev Kumar
चलित बिल	1 <sup>st</sup> & Final Bill
Abstract of Cost MB	09/59
आबंटन पत्र संख्या	CPL/NP/Engg./Tender-13/2020-1218-1221 दिनांक 20.11.20220
वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि	02/01.06.2019 ₹132266

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "P/F Precast checkered tiles 20mm thick in floors" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका स. 09 पृष्ठ स. 57 से 58 में उपरोक्त मद की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल राशि ₹195/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः

संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Excess Qty. Taken	Rate /m2(₹)	Excess Amt. Paid (₹)
Item No. 1 i.e. "P/F Precast checkered tiles 20mm thick in floors"	09/58	2.43+0.96+8.40+10.50+ 5.125+10.75+0.45+10.8 3+12.60+5.46+1.564+3. 60+2.185+7.88+2.92+4. 62+2.17+1.54+6.30= <b>100.43m2</b>	2.43+0.96+8.40+10.50+ 5.125+10.75+0.45+10.8 3+12.60+5.46+1.564+3. 60+2.185+7.88+2.92+4. 62+2.17+1.54+6.30 = <b>100.28m2</b>	0.15m2	1300	195
<b>Total</b>						<b>₹195/-</b>

**21 संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से गुड्स व सर्विस कर ₹0.09 लाख की कटौती न करना:-**

दिनांक- 1.7.2017 से गुड्स व सर्विस कर लागू होने के पश्चात संविदाकारों के निर्माण कार्य के भुगतान बिलों से 2 प्रतिशत की दर से गुड्स व सर्विस कर (1% C.G.S.T + 1% S.G.S.T) की कटौती की जानी अपेक्षित है, किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य के बिलों से ₹9577/- गुड्स व सर्विस कर की कटौती न करके जहाँ एक ओर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था वही दूसरी ओर सरकार को राजस्व के रूप में ₹9577/- की हानि पहुंचाई गई है जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिससे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

<b>Detail of works where Goods &amp; Services tax not Deducted</b>						
Sr. No.	Name of work	Voucher No. & Date	MB no. & Page No.	Gross Amount of bill (₹)	Amount of GST not Deducted from contractor bills (@2 %) (₹)	Name Of Contractor
1	R/M of road Near at Panchayat Ghar in Ward No.4 NP Chopal	8/5 16.05.2020	08/95	161452	3229	Sh.Sunil Thakur

2	R/M of road GSSS Ground towards upto Shirgul temple in ward no. 5	07/05.04.2019	08/75	189735	3795	Sh.Sunil Thakur
3	Renovation/ Beautification of Churu Mandir at ward no. 5	07/05.04.2019	08/78	81736	1635	Sh.Sandeep Kumar
5	C/o U Shape drain near electricity sub-division office near Dhalta House towards upto GSSS Ground ward no. 7	07/05.04.2019	08/80	45900	918	Sh. Ashwani Kumar Bhagta
<b>Total</b>					<b>₹9577/-</b>	

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः संविदाकारों के बिलों से गुड्स व सर्विस कर की कटौती न करने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की कटौती उचित स्रोत से करके तथा राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

## 22 संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर आयकर की ₹0.04 लाख कटौती न करना :-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹300000/- से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹100000/- से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वे लिखित हों या फिर मौखिक हो पर लागू होती है जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लेखित आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के पास आयकर विभाग से सम्बन्धित स्थाई खाता संख्या (PAN) न होने की अवस्था में स्रोत पर आयकर की कटौती 20% की दर से की जानी अपेक्षित

है। लेकिन नगर पंचायत चौपाल द्वारा उक्त नियमों की अनुपालना न करते हुए अवधि 4/2019 से 03/2022 के दौरान निम्नानुसार संविदाकारों के निर्माण से ₹4999/- की स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई थी, फलस्वरूप जहाँ एक ओर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है वही दूसरी ओर सरकार को राजस्व के रूप में ₹4999/- की हानि पहुंचाई गई है जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

<b>Detail of works where Income tax not Deducted</b>						
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of work</b>	<b>Voucher No. &amp; Date</b>	<b>MB no. &amp; Page No.</b>	<b>Gross Amount of bill</b>	<b>Amount of Income not Deducted from contractor bills (@2 %)</b>	<b>Name Of Contractor</b>
1	C/o R/wall near SDM residence at ward no. 1	07/ 05.04.2019	08/72	205870	4117	Sandeep Kumar
2	Cutting work back side of govt. primary school in ward no. 7	07/ 05.04.2019	08/73	44110	882	Ashwani Kumar
<b>Total</b>					<b>₹4999/-</b>	
<b>Note:- Award Letter Condition- XVI- Income tax @2% of the amount of executed work shall be deducted at the time of releasing the payment</b>						

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक- 30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः संविदाकारों के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती न करने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की कटौती उचित स्रोत से करके तथा राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

23 संविदाकारों के बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों (आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी) ₹3.11 लाख को सम्बंधित विभाग में जमा न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना स. आर - 16/22 दिनांक-15.12.2022 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत चौपाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान संविदाकारों के बिलों से आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में काटी गई राशि ₹311399.52 जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया है।

Name of Head	Year	Amt. of Statutory Deduction Collected during 2019-22	Amount Deposited into concerned deptt. during 2019-22
Income Tax	2019-20	13152.00	-Nil-
	2020-21	22097.39	-Nil-
	2021-22	37237.11	-Nil-
<b>Total</b>		<b>₹72486.5</b>	
GST	2019-20	Nil	-Nil-
	2020-21	44194.78	-Nil-
	2021-22	74474.22	-Nil-
<b>Total</b>		<b>₹118669</b>	
Labour Cess	2019-20	8470.00	-Nil-
	2020-21	22097.39	-Nil-
	2021-22	37237.11	-Nil-
<b>Total</b>		<b>₹67804.5</b>	
Royalty	2019-20	Nil	-Nil-
	2020-21	16523.22	-Nil-
	2021-22	35916.30	-Nil-
<b>Total</b>		<b>₹52439.52</b>	
<b>G/Total</b>		<b>₹311399.52</b>	<b>-Nil-</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः संविदाकारों के बिलों से आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में काटी गई राशि

को संबंधित विभाग में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**24 प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर ₹5.25 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करना:-**

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: यू० डी० – ए० (3) 5/2007 दिनांक 10-03-2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पंचायत ₹5 लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा निम्न वर्णित प्रकरण में कार्य के निष्पादन से पूर्व निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया जो कि अनियमित है।

<b>Name of Work-</b> R/M of Raod with Interlocking paver blocks from Bhagta house to Sh. Shirgule Devta Mandir at Ward No. 5 NP Chopal
<b>Award Letter No.-</b> CPL/NP/Engg/Tender-13/2020-1297-1300 Dated 07.12.2020
<b>Estimated Cost of Wrok-</b> ₹525198/-
<b>Work has been executed without taking Administrative approval from The Director, UD Shimla.</b>

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक- 30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः उपरोक्त कार्य हेतु शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करने का पुनः औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस सन्दर्भ में प्रशासनिक अनुमोदन निदेशक, शहरी विकास विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही/ अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**25 निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को ₹0.75 लाख का अनुचित लाभ प्रदान करना:-**

Principal Secretary(Industry) to the Govt. of H.P. के पत्र सं० खण्ड-II(एफ०)6-5/2006, दिनांक 16.01.2012 और पत्र संख्या 5-49/79 Ind(Glg)Rules-2015-Vol-IV-

1175 दिनांक 12.05.2015 के अनुसार, विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों के लिए किए गए भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कुछ प्रकरणों में जिनका विवरण परिशिष्ट- "ट" पर दिया गया है संविदाकारों के भुगतान बिलों से निर्माण कार्यों में उपयोग स्टोन, रेत, बजरी के संदर्भ में न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही उपलब्ध अभिलेखों में फॉर्म एम० संलग्न किए गए थे। परिणामस्वरूप देय रायल्टी ₹75507/- की कटौती न करके जहाँ एक ओर संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है वही दूसरी ओर सरकार को परोक्ष रूप से राजस्व हानि पहुंचाई गई है। अतः वर्णित अनियमितता बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो संविदाकारों को निर्माण कार्य बिलों का भुगतान करने से पूर्व प्राप्त फॉर्म एम. सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान बिलों से निर्धारित दरों पर देय रायल्टी की कटौती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 अनुबंध का कार्यान्वयन किये बिना ही नगर पंचायत निधि से ₹7.94 लाख के अनधिकृत व्यय बारे:-

कार्य का नाम	<b>Daily Cleaning the road path, drains from Lankra Vir Mandir towards bus stand Chopal and Lifting of dead of body animal in NP area.</b>
आवंटन पत्र संख्या	<b>NP/CPL(NIQ)457/2017 Dated:28.3.2017</b>
संविदाकार का नाम	<b>Sh. Rajinder Kumar</b>

अंकेक्षण के दौरान सफाई कार्य आवंटन से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा रास्तों की सफाई व्यवस्था बनाए रखना, Drains की साफ़ सफाई, व नगर पंचायत क्षेत्र में पशुओं के शवों को उठाने सम्बन्धी कार्य श्री राजिंदर कुमार को ₹32000/- मासिक पर एक वर्ष के लिए दिनांक- 1.4.2017 से 31.3.2018 तक आवंटित किया गया था, किन्तु अंकेक्षण अवधि -2019-22 के दौरान भी वर्णित संविदाकार को मासिक आधार पर उक्त कार्य हेतु ₹794000/- का कुल भुगतान किया गया था जबकि दिनांक 31.3.2018 को वर्णित संविदाकार से अनुबंध समाप्ति पश्चात नगर पंचायत द्वारा पुनः अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण अवधि के

दौरान उक्त संविदाकार को बिना अनुबंध का कार्यान्वयन किये ही निम्न विवरण अनुसार ₹794000/- का अनधिकृत व्यय किया गया जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

Year	Amount Paid up to 31.03.2022 (₹)	Remarks
2019-20	354000	Amount paid without execution of agreement.
2020-21	198000	
2021-22	242000	
<b>Total</b>	<b>₹794000/-</b>	

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-33/22 दिनांक-30.12.2022 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- NP/CPL/2022-791 दिनांक-31.12.2022 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः बिना अनुबंध कार्यान्वयन के किये गये उक्त व्यय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 27 स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करना:-

अंकेक्षण में विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्ट्रों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की प्रविष्टि बिल अनुसार की गई थी और सामान की एक मुश्त खपत दर्शाई गई थी जोकि नियमानुसार नहीं थी क्योंकि क्रय मदों की स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टि व खपत Item wise पृथक पृष्ठ पर की जानी अपेक्षित है ताकि एक विशेष तिथि को इनके शेष की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके। अतः नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 28 (अचल संपत्ति रजिस्टर) (Immovable property register) का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड -1975 की धारा 244 के अनुसार नगर पंचायत अपनी हर संपत्ति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का सत्यापन नगर पंचायत के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्वारा तीन वर्षों में एक बार

किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि अचल संपत्ति रजिस्टर का तुरन्त रख रखाव एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अचल सम्पतियों की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**29 सीमेंट खरीद/जारी व खपत के विवरण हेतु संधारित सीमेंट स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान विभागीय स्तर पर निष्पादित किये गये निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग किये गये सीमेंट की खरीद/जारी/ खपत सम्बन्धी विवरण हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या:27/22 दिनांक:-27.12.2022 व तत्पश्चात अंकेक्षण अनुस्मारक संख्या:- 1-27/22 दिनांक:-29.12.2022 द्वारा वर्णित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आहवाहन सचिव नगर चौपाल से किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक सम्बंधित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि स्वतः आपतिजनक स्थिति को परिलक्षित करता है इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर प्रयोग में लाये गये सीमेंट के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सम्बन्ध में अब विभागीय स्तर पर आवश्यक छानबीन कर वर्णित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**30 रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव न करना :-**

रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के दौरान रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव नहीं किया गया था नगर पंचायत द्वारा किसी भी माह रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही का हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19(2) के अनुसार रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**31 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जबकि नियमानुसार वर्णित रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। अतः वर्णित अभिलेख के रख रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

- 1 वेतन रजिस्टर
- 2 M.A.S रजिस्टर
- 3 शराब मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- 4 बिजली उपयोग मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- 5 प्रतिभूति रजिस्टर

**32 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना:-**

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत चौपाल द्वारा मौखिक तौर से अंकेक्षण को सूचित किया कि अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 के दौरान नगर पंचायत के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसे नियमानुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 33 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
- 34 निष्कर्ष :- लेखों के रख रखाव में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

हस्ता / -  
(रविन्द्र कंवर)  
उप निदेशक,  
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,  
शिमला-171009.  
फोन नं0 -0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या :- फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 81/85 खण्ड-4-2872-2873 दिनांक 27.03.2023 शिमला-09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-2. को पैरा 1 (ग) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- पंजीकृत :- 2 सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -  
(रविन्द्र कंवर)  
उप निदेशक,  
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,  
शिमला-171009.  
फोन नं0 -0177-2620881

परिशिष्ट " 1" पैरा संख्या 1 (घ) के सन्दर्भ में

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1990**

(1)	पैरा 6	अंशतःनिर्णीत
(2)	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 13	अनिर्णीत
(4)	पैरा 14	अनिर्णीत
(5)	पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
(6)	पैरा 15(बी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 16	अनिर्णीत
(8)	पैरा 17(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)	अनिर्णीत

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994**

(1)	पैरा 11 (3) (4) (11) (12)	अनिर्णीत
-----	---------------------------	----------

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/2004**

(1)	पैरा 5 (क)(ख)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 7 (च, ज)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 8 (ग, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 8 (ऋ, ष)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 9	अनिर्णीत
(6)	पैरा 10(क)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 10 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (प) (फ)	अनिर्णीत
(8)	पैरा 13	अनिर्णीत

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2008**

(1)	पैरा 5 (vi) (viii)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 6(i)(iii)	अनिर्णीत

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 3/2010**

1	पैरा 16	अनिर्णीत
---	---------	----------

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2013**

(1)	पैरा 15 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 18	अनिर्णीत
(3)	पैरा 20	अनिर्णीत
(4)	पैरा 21	अनिर्णीत
(5)	पैरा 26	अनिर्णीत

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015**

(1)	पैरा 4 (च)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 10 (ख) (ग)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 11	अनिर्णीत
(5)	पैरा 17	अनिर्णीत
(6)	पैरा 20	अनिर्णीत
(7)	पैरा 21 (क) से (घ )	अनिर्णीत
(8)	पैरा 22	अनिर्णीत

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 3/2017**

1	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (ङ) (i)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ङ) (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (ङ) (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019**

1	पैरा-3	निर्णीत	(अवधि 04/17 से 03/19 का अंकेक्षण शुल्क ₹27000/- को चेक संख्या 0-00197 दिनांक- 30.7.2019 को जमा करने पश्चात्)
---	--------	---------	--

2	पैरा-4 (क) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
5	पैरा-6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
6	पैरा-7(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
7	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा-8(क)(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
9	पैरा-8(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा-8(घ)(ङ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
11	पैरा-8(च)(छ)	अनिर्णीत	
12	पैरा-8(ज)	अनिर्णीत	
13	पैरा-8(झ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
14	पैरा-8(ञ)	अनिर्णीत	
15	पैरा-9(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
16	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा-10(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
18	पैरा-10(ख)	अनिर्णीत	
19	10(ग)(घ)(ङ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
20	पैरा-11	अनिर्णीत	
21	पैरा-12(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा-12(ख)(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा-12(ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा-12(घ)	अनिर्णीत	
25	पैरा-12(ङ)	अनिर्णीत	
26	पैरा-12(च)	अनिर्णीत	
27	पैरा-13	अनिर्णीत	

28	पैरा-14	अनिर्णीत	
29	पैरा-15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
30	पैरा-16	अनिर्णीत	
31	पैरा-17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
32	पैरा-18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

### अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.19 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	76
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	31
(-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	13
31.3.22 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	94